ालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, बीदासर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी :– श्री अमीलाल यादव R.A.S.

54/24

1 श्रीमती पेमा पुत्री स्व. परताराम पत्नी श्री पन्नाराम जाति जाट निवासी करेजड़ा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू वादीया

बनाम

1 हिंरा देवी पत्नि स्व. परताराम जाति जाट निवासी ग्राम उन्टालड़ तहसील बीदासर जिला चूरू
2 बजरंगलाल पुत्र स्व. परताराम जाति जाट निवासी ग्राम उन्टालड़ तहसील बीदासर जिला चूरू
3 बालाराम पुत्र स्व. परताराम जाति जाट निवासी ग्राम उन्टालड़ तहसील बीदासर जिला चूरू
4 भगवानाराम पुत्र स्व. परताराम जाति जाट निवासी ग्राम उन्टालड़ तहसील बीदासर जिला चूरू
5 मलाराम पुत्र स्व. परताराम जाति जाट निवासी ग्राम उन्टालड़ तहसील बीदासर जिला चूरू
6 श्रीमती मनोहरी पुत्री स्व. परताराम पत्नि रामनिवास जाट निवासी करेजड़ा तह. सुजानगढ़ चूरू
7 श्रीमती शान्ती पुत्री स्व. परताराम पत्नि श्रवणकुमार जाट निवासी नोड़िया तह. बीदासर जिला चूरू
8 सोनी पुत्री स्व. परताराम पत्नि रावताराम जाट निवासी करेजड़ा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू
9 केशर पुत्री स्व. परताराम पत्नि फतुराम जाट निवासी टालनियाउ तह. जायल जिला नागौर
10 लूणी पुत्री स्व. परताराम पत्नि सन्ताराम जाट निवासी पारेवड़ा तहसील बीदासर जिला चूरू
11 आसी पुत्री स्व. परताराम पत्नि उदाराम जाट निवासी टालनियाउ तह. जायल जिला नागौर
12 शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक शाखा कार्यालय सुजानगढ़ जिला चूरू
13 शाखा प्रबन्धक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा सुजानगढ़ जिला चूरू
14 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बीदासर जिला चूरू
15 उप पंजीयक, उप पंजीयक कार्यालय बीदासर जिला चूरू

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 92क व धारा 188 के अधीन दावा बाबत घोषणा, रेकार्ड दुरूस्ति, विभाजन व चिर व्यादेश प्राप्ती का प्रत्येक प्रकार के लिखित व मौखिक प्रमाणों के आधार पर

उपस्थित :–

1 वादी – श्री नरेश कुमार सोनी, मोहम्मद शाहिद एडवोकेट
2 प्रतिवादी सख्या 1 ता 13, 15 एक पक्षीय कार्यवाही
3 प्रतिवादी स. 14 – पैरोकार राज.

निर्णय

दिनांक :– 4/3/2025

वाद पत्र के सक्षिंप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादिया श्रीमती पेमा व प्रतिवादीगण सख्या 2 ता 11 के पिता व प्रतिवादीया सख्या 1 श्रीमती हींरा देवी के पति स्व. परताराम के कब्जा काश्त व मालिकाना अधिकारों की कृषि भूमि रोही मौजा उन्टालड़ तहसील बीदासर में स्थित है जिसके साबिका खसरा नम्बर 371 रकबा

लगातार.....2 पर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

पिता स्व. परताराम की पत्नि है व प्रतिवादीगण सख्या 2 ता 5 वादीया के सगे भाई व वादीया के पिता स्व. परताराम के पुत्र है जबकी वादीया के पिता स्व. परताराम के स्वर्गवास के बाद वादगत खेतों की खातेदारी में वादीया के पिता स्व. परताराम की पुत्रीयां वादीया व प्रतिवादीनीगण 6 ता 11 का नाम भी दर्ज किया जाना चाहीए था जो कि राजस्व कर्मचारीयों द्वारा प्रतिवादीगण सख्या 2 ता 5 की आपसी मिलीभगती से नहीं किया गया है, उपरोक्त प्रकार से वादगत कृषि भूमि की जो वर्तमान खातेदारी दर्ज की गई है वोह वादीया के मालिकाना अधिकारों के सामने शून्य व निष्प्रभावी है, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागू होने के दिन संवत् 2012 में वादीया व प्रतिवादीनीगण 6 ता 11 वादगत कृषि भूमि की काबिज काश्तकार रहीं है, प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 5 ने बिना किसी कानूनी अधिकार के और वादीया की सहमति के बिना वादगत कृषि भूमि को प्रतिवादी सख्या 12 व 13 के पास गिरवी रख कर ऋण प्राप्त कर रखा है जिसका उक्त प्रतिवादीगण को कोई कानूनी अधिकार नहीं था उक्त प्रतिवादीगण ने वादीया को वादगत कृषि भूमि के मालिकाना अधिकारों से कपट वंचित करने के लिए वादगत कृषि भूमि को गिरवी रखा है इस कारण प्रतिवादी बैंक दावा हाजा में आवश्यक पक्षकार है उक्त प्रतिवादीगण वर्तमान में गलत खातेदारी की आड़ में अन्य प्रकार से भी वादगत कृषि भूमि को विक्रय, हस्तान्तरण की कुचेष्टा में लगे हूए है जिसका उक्त प्रतिवादीगण को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। वादीया अपने पिता के वक्त से ही अपने हिस्से की कृषि भूमि को बिना किसी बाधा व रोक टोक के जगजाहिर रूप से वादगत कृषि भूमि में काश्त करती है जिसमें प्रतिवादीगण द्वारा कभी कोई बाधा व रूकावट नहीं की गई है, वादीया के पिता के स्वर्गवास के पश्चात प्रतिवादीगण सख्या 2 ता 5 राजस्व कर्मचारीयों की मिलीभगती से वादगत वर्तमान कृषि भूमि की खातेदारी गलत रूप से प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 5 के नाम दर्ज कर दी गई जो कि वादीया के अधिकारों के सामने प्रारम्भ से ही अवैध व शून्य है क्योकि वादगत कृषि भूमि से अकेले प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 5 का कभी कोई वास्ता नहीं रहा है और ना ही वर्तमान में है। वादगत कृषि भूमि उक्त प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 5 व वादीया व प्रतिवादीगण सख्या 6 ता 11 के सयुंक्त परिवार के कब्जा काश्त व मालिकाना अधिकारों की भूमि है वादगत भूमि की खातेदारी को प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 5 के नाम दर्ज किये जाने का कोई कारण नहीं था, वादीया के हक हिस्से खातेदारी व मालिकाना अधिकारों की वादगत कृषि भूमि की खातेदारी प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 5 के नाम दर्ज हो जाने का कभी कोई ज्ञान वादीया को नहीं रहा है क्योक एक ही परिवार के सदस्य होने के कारण अविश्वास किये जाने का कोई कारण नहीं था व वादगत कृषि भूमि में वादीया के कब्जा काश्त में कभी कोई हस्तक्षेप प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 5 द्वारा नहीं किया गया है, वर्तमान में गलत खातेदारी की आड़ में प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 5 ने वागदत भूमि को हड़प करने के लिए अपने आप को वादगत भूमि के मालिक बयान कर भू माफिया लोगों से सम्पर्क कर वादीया को वादगत कृषि भूमि से जबरन बैदखल कर देने पर आमादा हो रखे है और वादगत कृषि भूमि को विकय, हस्तान्तरण की कुचेष्टा में लगे हूए है जिसके लिए उक्त प्रतिवादीगण ने स्थानीय राजनैतिक संरक्षण लेकर प्रतिवादी तहसीलदार महोदय बीदासर को भी अपने नाजायज प्रभाव में ले रखा है जिस पर वादीया ने माह अगस्त से लेकर माह अक्टूबर सन् 2023 में अभिलेखागार चूरू से वादगत भूमि का राजस्व रेकार्ड की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त की तो वादीया को गलत खातेदारी के अंकन की जानकारी हुई है वादीया को वादगत कृषि भूमि से जरबन बेकब्जा किये जाने के लिए प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 5 ने प्रतिवादी तहसीलदार महोदय बीदासर से साज

लगातार.....4 पर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

करके वादगत कृषि भूमि को विकय हस्तान्तरण कर देने पर आमादा हो रखे है और उक्त प्रतिवादीगण द्वारा साजिसाना तौर पर वादीया को बैदखल व वादगत भूमि से वंचित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है, दिनांक 17.12.2023 को उक्त प्रतिवादीगण ने वादीया को ऐलानिया तौर पर धमकी दी है कि हम प्रतिवादीगण आप वादीया को वादगत कृषि भूमि से जरबन बैदखल करेगे और वादगत कृषि भूमि को विकय करेगे जो कि वाद हैतुक है। प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 5 ने तमाम प्रतिवादीगण को अपने प्रभाव में ले रखा है यदि प्रतिवादीगण ने वादगत भूमि को विकय हस्तान्तरण कर दिया या वादिया को बैदखल कर दिया तो वादीया को अपूर्तीय क्षति होगी, इस कारण न्यायालय की सहायता तुरन्त अपेक्षित है तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध तुरन्त अनुतोश प्राप्त किया जाना आवश्यक है इस कारण दावा हाजा अत्यन्त ही आवश्यक प्रकृति का हो चला है एवं वादीया को प्रस्तुत वाद का प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद कारण प्राप्त हुआ है जो धारा 80 सी. पी. सी. के कानूनी नोटिस से छूट लेकर प्रस्तुत किया जा रहा है वादगत कृषि भूमि वादीया के पूर्वजों के वक्त की कब्जे काश्त व मालिकाना अधिकारों की खातेदारी भूमि है और वादीया के पिता के स्वर्गवास के पश्चात वादीया के संयुक्त हिस्से की कृषि भूमि की खातेदारी प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 5 के नाम साजिसाना रूप से आपसी मिलीभगती से गलत व मिथ्या सजरा खानदान प्रस्तुत कर गलत व अवैध दर्ज की गई है जो कि वादीया के काश्तकारी अधिकारों के सामने प्रारम्भ से ही शून्य निष्प्रभाव है वादगत भूमि की खातेदारी में वादीया को अपने नाम से खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने का सतत अधिकार प्राप्त है और वादीया को वादाधार प्राप्त है वादीया वादगत भूमि के वर्तमान राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त करवाने की कानूनी अधिकारीणी है वादीया के कब्जा काश्त व मालिकाना अधिकारों में कभी किसी व्यक्ति द्वारा दखल नहीं किये जाने के कारण व किसी प्रकार का मतभेद व विवाद नहीं होने तथा वादीया के कानूनी प्रकिया से अनभिज्ञ होने के कारण व कब्जे काश्त को लेकर कभी कोई विवाद नहीं होने के कारण वादगत भूमि की खातेदारी प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 5 दर्ज किये जाने के बारे में वादीया काश्तपेशा व अनपढ़ होने के कारण खातेदारी अधिकार आदि का कोई ज्ञान कभी भी वादीया को नहीं रहा है और ना ही वादीया को इस बारे में काई जानकारी नहीं है इस कारण रेकार्ड दुरूस्ति के लिए कोई कभी कोई कार्यवाही नहीं की गई है वादीया ने वादगत भूमि के राजस्व रेकार्ड की प्रमाणित प्रतियां हासिल की व कानूनी राय ली तब वादीया को गलत खातेदारी की जानकारी हुई तब वादीया ने तहसीलदार महोदय बीदासर को भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वादगत भूमि के रेकॉर्ड को दुरूस्त कर देने की लिखित प्रार्थना की लेकिन वादीया की कोई सुनवाई नहीं की गई है इस कारण दावा प्रस्तुत किया जाना लाजमी हुआ है वादीया इस वाद के माध्यम से वादगत कृषि भूमि के राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त करवा कर अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने की कानूनी अधिकारीणी है तथा प्रतिवादीगण की धमकी से वादीया को वाद हैतुक व वादाधार प्राप्त है। वादगत कृषि भूमि रोही उन्टालड़ व रोही आसरासर में स्थित है दावा उपरोक्त कृषि भूमि बाबत घोषणा, रेकार्ड दुरूस्ति, विभाजन, चिर व्यादेश प्राप्ती का है जिसकी सुनवाई का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है दावा हर प्रकार से अन्दर मियाद प्रस्तुत किया जा रहा है वादीया वादगत कृषि भूमि के खातेदारर व काबिज काश्तकार है वादगत भूमि वादीया के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि है जिसकी वादीया कानूनी तौर पर मालिक है वादगत भूमि का विकय हस्तान्तरण करने या वादीया के हक हिस्से कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार से दखल करने का प्रतिवादीगण को कोई अधिकार नहीं है इस कारण वादीया का प्रथम दृष्टया सारवान मामला बनता है एवं सुविधा का संतुलन भी वादीया के पक्ष में है अगर

लगातार.....5 पर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

वादगत भूमि से वादीया को जरबन बेकब्जा कर दिया जाता है तो अपूर्तीय क्षति वादीया को होगी, मुकदमा हाजा में उप पंजीयक बीदासर, बैंक व राजस्थान सरकार आवश्यक पक्षकार होने के कारण इन्हे प्रतिवादीगण पक्षकार संयोजित किया गया है वादगत भूमि के बारे में घोषणा, रेकार्ड दुरूस्ति व चिर व्यादेश के लिए यह दावा निर्धारित न्याय शुल्क पर अवधि भितर प्रस्तुत किया जा रहा है आदि आदि प्रस्तुत कर वादिया द्वारा अनुतोश चाहा गया कि घोषित किया जावे कि रोही उन्टालड़ तहसील बीदासर स्थित वर्तमान खसरा नम्बर 371 रकबा 2.5925 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 551/452 रकबा 9.4342 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 591/446 रकबा 3.7433 हैक्टेयर कुल 3 खसरे कुल रकबा 15.770 हैक्टेयर की कृषि भूमि वादीया के पिता व उसके पूर्वजों के वक्त की वादीया के कब्जा काश्त मालिकाना व खातेदारी अधिकारों की कृषि भूमि है जिसकी वादीया मालिक व कब्जेधारी खातेदार कृषक है वादगत भूमि के वर्तमान राजस्व रेकार्ड में गलत अंकन है जिसको दुरूस्त करवा वादीया उपरोक्त वादगत कृषि भूमि की खातेदारी में प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 11 के साथ अपने नाम से खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने की अधिकारी है जिसकी घोषणा की डिक्री सादिर फरमाई जावे। कि घोषित किया जावे कि रोही आसरासर तहसील बीदासर में स्थित वर्तमान खसरा नम्बर 459/328 रकबा 3.7054 हैक्टेयर की कृषि भूमि वादीया के पिता व उसके पूर्वजों के वक्त की वादीया के कब्जा काश्त व मालिकाना व खातेदारी अधिकारों की कृषि भूमि है जिसकी वादीया मालिक व कब्जाधारी खातेदार कृषक है वादगत भूमि के वर्तमान राजस्व रेकार्ड में गलत अंकन है जिसको दुरूस्त करवा कर वादीया उपरोक्त वर्णित वादगत कृषि भूमि की खातेदारी में प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 11 के नाम अपने नाम से खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने की अधिकारीणी है जिसकी घोषणा की डिक्री सादिर फरमाई जाये, प्रतिवादीगण को जरिये चिर निषेधाज्ञा के वर्जित किया जावे कि मुकदमा हाजा के पैरा सख्या 2 में वर्णित वादगत कृषि भूमि के बारे में वादीया के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग व आवागमन में किसी प्रकार से बाधा नहीं करें, वादगत भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण परिवर्तन परिवर्धन नहीं करें, वादगत भूमि की किस्म को किसी भी प्रकार से परिवर्तन नहीं करें, ऐसा कोई कृत्य या फैल नहीं करे जिससे वादीया के हक हिस्से पर किसी भी प्रकार से विपरीत असर पड़े। वादीया को जरबन बेदखल नहीं करें, कब्जे काश्त से नहीं रोके, विक्रय, बन्धक, हस्तान्तारण नहीं करें ऐ सा कोई कृत्य या फैल नहीं करें जिससे की वादीया के हितों पर किसी भी प्रकार से विपरीत असर पड़े। वादगत कृषि भूमि का विभाजन किया जाकर वादीया के हक हिस्से की अलग खातेदारी दर्ज किये जाने के आदेश भू धारक को फरमाये जायें।

उपरोक्त दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद प्रर्याप्त तामील के उपस्थित नहीं होने पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध दिनांक 23.12.2024 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई जो आज तक अस्तित्व में है इस प्रकरण में किसी भी प्रतिवादी पक्षकार द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत कर वाद में वर्णित तथ्यों को विवादित नहीं किया गया है। इस प्रकरण में भू धारक सरकार की ओर से तहसीलदार बीदासर ने राजहित निहित नहीं होना भी अंकित किया है। इस प्रकरण में प्रतिपक्ष द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण किसी प्रकार के विवाधकों की विरचना नहीं की गई है प्रतिवादीगण की और से वाद में किसी प्रकार की मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है, वादीया की और से अपने वाद को साबित करने के लिए वादीया श्रीमती पेमा पी. डब्ल्यू–1 के रूप में स्वयं उपस्थित होकर अपना स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है जिसके बयान दिंनाक 30.01.2025 को लेखबद्ध किये गये। वादीया ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में वादगत खेत के राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी संवत् 2075–2078 खाता नम्बर 209 रोही उन्टालड़ प्रदर्श–1, जमाबंदी संवत् 2075–2078 खाता नम्बर

लगातार.....6 पर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

254 रोही आसरासर प्रदर्श–2, नामान्तरकरण सख्या 261 रोही उन्टालड़ प्रदर्श–3, नामान्तरकरण सख्या 269 रोही ग्राम उन्टालड़ प्रदर्श–4, जमाबन्दी खाता नम्बर 17 प्रदर्श–5, जमाबन्दी संवत् 2034–2037 खाता नम्बर 18 प्रदर्श–6, पर्चा सेटलमेन्ट प्रदर्श–7, पर्चा सेटलमेन्ट प्रदर्श–8, मिलान क्षेत्रफल रोही आसरासर प्रदर्श–9, एक्स सजरा किश्तवार संवत् 2002 रोही आरारासर प्रदर्श–10, जमाबन्दी संवत् 2035 खाता नम्बर 18 रोही आसरासर प्रदर्श–11, जमाबन्दी संवत् 2047 खाता नम्बर 14 रोही आसरासर प्रदर्श–12, जमाबन्दी संवत् 2051 से 2054 खाता नम्बर 16 रोही आरारारार प्रदर्श–13, जमाबन्दी संवत् 2044–2048 खाता नम्बर 15 रोही आसरासर प्रदर्श–14, जमाबन्दी संवत् 2049–2052 खाता नम्बर 15 रोही आसरासर प्रदर्श–15, जमाबन्दी संवत् 2021–2023 खाता सख्या 66 रोही आसरासर प्रदर्श–16, जमाबन्दी संवत् 2034 खाता सख्या 21 रोही आसरासर प्रदर्श–17, जमाबन्दी संवत् 2013–2016 रोही आरारारार प्रदर्श–18, जमाबन्दी संवत् 2017 रोही आसरासर प्रदर्श–19, नामान्तरकरण सख्या 122 रोही आसरासर प्रदर्श–20, नामान्तरकरण सख्या 126 रोही आसरासर प्रदर्श–21, नामान्तरकरण सख्या 139 प्रदर्श–22, नामान्तरकरण सख्या 166 प्रदर्श–23, नामान्तरकरण सख्या 101 रोही आसरासर प्रदर्श–24, नामान्तरकरण सख्या 45 रोही आसरासर प्रदर्श– 25, नामान्तरकरण सख्या 52 प्रदर्श–26 प्रदर्शित करवाये। साक्ष्य वादीया में स्वतन्त्र गवाह रामचन्द्र एवं भगवानाराम ने नोटेरी से तस्दीक शुदा शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर बयान लेखबद्ध कर शामिल मिशल किये गये। वादीया ने ओर साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना जाहिर करने वा साक्ष्य वादी बन्द की गई। बहस अन्तिम सुनी गई, पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया साररूप से वाद एवं प्रस्तुत साक्ष्य के समर्ग अवलोकन से इस प्रकरण में यह प्रकट स्थिति है कि वादीया श्रीमती पेमा व प्रतिवादीगण 1 ता 11 परताराम के वारिसान है प्रस्तुत साक्ष्य से यह भी स्थापित हुआ है कि प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड प्रदर्श 1 लगायत 26 के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि वादगत कृषि भूमि वादीया के दादा स्व. सगराराम के कब्जे काश्त की रही है और सगराराम की मृत्यू के बाद वादगत कृषि भूमि की खातेदारी कुम्भाराम, पन्नाराम व वादीया के पिता परताराम के नाम दर्ज हुई है और उस कृषि भूमि को वादीया के पिता परताराम के नाम खातेदारी में दर्ज किया गया है प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड के अवलोकन से यह प्रकट स्थिति रही है कि वादीया के पिता परताराम की मृत्यू के नाम नामान्तरकरण दर्ज करवाने के लिए जो सजरा खानदान प्रस्तुत किया गया था उस सजरा खानदान में वादीया व उसकी बहिने प्रतिवादी सख्या 6 ता 11 को दर्शित नहीं किया गया है इस कारण वादगत खेतों की खातेदारी प्रतिवादीगण 1 ता 5 के नाम दर्ज हुई है वादीया द्वारा यह अभिकथन किया गया है कि वादीया स्व. परताराम कि सगी पुत्री है वादीया के इस अभिकथन को वादीया ने मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से पुख्ता किया है जैसा कि उपर विवेचन किया जा चुका है वादगत सम्पति वादीया के दादा के वक्त की पैतृक सम्पति वादीया के दादा के वक्त की होना स्थिापित हुआ है जबकी वादगत सम्पति पैतृक सम्पति नहीं हो या वादीया या प्रतिवादीया सख्या 6 ता 10 परताराम की पुत्रीयां न हो यह तथ्य प्रस्तुत वाद में अखण्डनीय रहा है। फलतः वादगत खेतों की खातेदारी में वादीया का नाम दर्ज नहीं किये जाने से वादगत खेतों की वर्तमान खातेदारी वादीया के अधिकारों के सामने शून्य हो जाती है और वादीया वादगत खेतों की खातेदारी में अपने नाम की घोषणा करवाने की अधिकारीणी पाई जाती है तथा वादीया विभाजन व चिर निषेधाज्ञा व वर्तमान राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त करवाने के अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारीणी है। लिहाजा दावा वादीया डिकी किये जाने योग्य पाया जाता है जिसको डिकी किये जाने के आदेश किया जाता है।

लगातार........7 पर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

आदेश

वादीया का वाद डिकी किया जाकर यह आदेश दिया जाता है कि वादगत खेत खसरा नम्बर 371 रकबा 2.5925 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 551/452 रकबा 9.4342 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 591/446 रकबा 3.7433 हैक्टेयर कुल 3 खसरे कुल रकबा 15.770 हैक्टेयर रोही उन्टालड़ तथा खेत खसरा नम्बर 459/328 रकबा 3.7054 हैक्टेयर रोही आसरासर खातेदारी में वादीया की खातेदारी अधिकारों की घोषणा की जाकर भू धारक तहसीलदार बीदासर को आदेश दिया जाता है कि वादगत दोनो खातों की खातेदारी में वर्तमान अंकन को हटाया जाकर वादीया व प्रतिवादीगण 1 ता 11 के नाम खातेदारी ब. हि. बराबर दर्ज की जावे तथा वादगत खेतो की खातेदारी पर प्रतिवादी सख्या 12 व 13 ऋण प्रतिवादी सख्या 1 ता 5 के हिस्से पर बदस्तूर रहेगा साथ ही वादीया विरूद्ध प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 5 के विरूद्ध उपयोग उपभोग व कब्जे काश्त चिर निषेधाज्ञा की डिकी से प्रतिवादीगण को पाबन्द करवाने के अधिकारी है जो वादीया के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार से दखल अन्दाजी नहीं करेगे, उपरोक्त प्रकार के अनुतोशो के लिए व वादगत खेतों की खातेदारी के रेकार्ड को दुरूस्त किये जाने के लिए डिकी जारी हो। उपरोक्त अंकन किये जाने के पश्चात वादीया के हक हिस्से के विभाजन के लिए दावा वादीया प्रारम्भिक रूप से डिकी किये जाने के आदेश दिये जाते है। भू धारक तहसीलदार बीदासर को आदेश दिया जाता है कि इस बार में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें। मामले के तथ्य परिस्थितियों को देखते हूए खर्चा मुकदमा पक्षकार अपना अपना वहन करेगे। इस प्रकार पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 4/3/2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

अमीलाल यादव R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी बीदासर चूरू

डिक्री ब मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

{Civil Procedure code, Appendix "D-1"}

अदालत ...श्रीमान उपखण्ड अधिकारी ....मुकाम........बीदासर जिला चूरू ....व

इजलास.............पीठासीन अधिकारी........... श्री अमीलाल यादव R.A.S.

श्रीमती पेमा बनाम श्रीमती हीरा देवी आदि

दावा बाबत ....घोषणात्मक, रेकार्ड दुरूस्ति, विमाजन, चिर निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर...... 4 / 24

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रू ब रू ......हाजरी **श्री नरेश कुमार सोनी एडवोकेट** मिनजानिब मुदई व ....पैरोकार राज. .....मिन जानिब मुदापलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि ..... वादगत खेत खसरा नम्बर 371 रकबा 2.5925 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 551/452 रकबा 9.4342 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 591/446 रकबा 3.7433 हैक्टेयर कुल 3 खसरे कुल रकबा 15.770 हैक्टेयर रोही उन्टालड़ तथा खेत खसरा नम्बर 459/328 रकबा 3.7054 हैक्टेयर रोही आसरासर खातेदारी में वादीया की खातेदारी अधिकारों की घोषणा की जाकर भू धारक तहसीलदार बीदासर को आदेश दिया जाता है कि वादगत दोनो खातों की खातेदारी में वर्तमान अंकन को हटाया जाकर वादीया व प्रतिवादीगण 1 ता 11 के नाम खातेदारी ब. हि. बराबर दर्ज की जावे तथा वादगत खेतो की खातेदारी पर प्रतिवादी सख्या 12 व 13 ऋण प्रतिवादी सख्या 1 ता 5 के हिस्से पर बदस्तूर रहेगा साथ ही वादीया विरूद्ध प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 5 के विरूद्ध उपयोग उपभोग व कब्जे काश्त चिर निषेधाज्ञा की डिक्री से प्रतिवादीगण को पाबन्द करवाने के अधिकारी है जो वादीया के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार से दखल अन्दाजी नहीं करेगे, उपरोक्त प्रकार के अनुतोशो के लिए व वादगत खेतों की खातेदारी के रेकार्ड को दुरूस्त किये जाने के लिए डिक्री जारी हो। उपरोक्त अंकन किये जाने के पश्चात वादीया के हक हिस्से के विभाजन के लिए दावा वादीया प्रारम्भिक रूप से डिक्री किये जाने के आदेश दिये जाते है। भू धारक तहसीलदार बीदासर को आदेश दिया जाता है कि इस बार में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें। मामले के तथ्य परिस्थितियों को देखते हुए खर्चा मुकदमा पक्षकार अपना अपना वहन करेगे।

फीस ....मुबलिग.................................बाबत ....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह ....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक ....को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख ....4.....माह...3...2025

उपखण्ड अधिकारी

दस्तखत.........

ओहदा.............

मुहर

मुदई	रूपया	पै.	मुदायला	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अरजी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा जो हर फरिकेन का चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं, अर्ज करना चाहिये।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)